कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.– 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 75/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 24.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 24.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

दिनांक: 24.02.2026

युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण:-

दिनांक 17.11.2025 को वादी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री को दिनांक 16.11.2025 को सायं लगभग 05:00 बजे अभियुक्त सूरज कनौजिया पुत्र नन्दलाल कनौजिया बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 485/2025 धारा 137(3), 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 23.02.2026 को उ0नि0 अल्पेश्वर मय हमराह के साथ थाना हाजा से रवाना होकर क्षेत्र में देखभाल/तलाश वांछित अभियुक्त में मामूर थे। मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सूरज कनौजिया पुत्र नन्दलाल कनौजिया निवासी ग्राम अमुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को समय 22:50 बजे सठियांव रेलवे स्टेशन कालोनी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम व पता:-

01. सूरज कनौजिया पुत्र नन्दलाल कनौजिया, निवासी ग्राम अमुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 485/2025 धारा 137(3), 87 बीएनएस ,थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

01. उ0नि0 श्री अल्पेश्वर,थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
02. का0 ऋषिकेश ठाकुर,थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक 24.02.2026

थाना-फूलपुर, जनपद आजमगढ़

अवैध तमंचा, कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।

घटना का विवरण:-

दिनांक 23-02-2026 को व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त साबिर पुत्र अबुल हसन ग्राम नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 26 वर्ष को एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर के साथ भोरमऊ पुलिया से पहले मुख्य मार्ग से खोजापुर जाने वाले रास्ते पर बने बाउण्ड्री के पास ग्राम भोरमऊ से **समय करीब 23.45 बजे** गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 62/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 62/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास-

साबिर पुत्र अब्दुल हसन ग्राम नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 26 वर्ष

1	187/18	379 भादवि	जहानागंज	आजमगढ़
2	189/22	3(1) यूपी गैंगे0 एक्ट	फूलपुर	आजमगढ
3	403/22	3/25/27 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ
4	358/25	3/25 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ
5	62/26	3/25 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़
6	103/18	379 भादवि	जहानागंज	आजमगढ
7	48/21	3/5ए/8 गोबध निवारण अधिनियम 11 पशुक्रुरता अधिनियम	फूलपुर	आजमगढ
8	182/18	147/148/149/307/419/420/468 भादवि	फूलपुर	आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त:-

साबिर पुत्र अब्दुल हसन ग्राम नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 26 वर्ष

बरामदगी-

एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1- व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द , थाना फूलपुर जनपद आजमगढ

2-उ0नि0 श्री अजीज खान, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ

3- का0 अश्ववनी कुमार, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ

4- का0 विनोद यादव, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ

प्रेस विज्ञप्ति

थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

दिनांक: 24.02.2026

साइबर फ्रॉड के कुल ₹16,790/- की धनराशि आवेदक के खाते में वापस कराई गई

पूर्व की घटना:-

आवेदक राहुल राय पुत्र उमापति राय निवासी ग्राम बैरमपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के साथ दिनांक 13.04.2024 को शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर साइबर ठगी की घटना घटित हुई थी। अज्ञात अभियुक्तों द्वारा टेलीग्राम व व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर टास्क देने के नाम पर कुल ₹3,85,000/- विभिन्न खातों में ट्रांसफर करा लिया गया। उक्त प्रकरण में थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0 238/2024 धारा 420 भा.दं.वि. व 66D आईटी एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। NCRP एक्नॉलेजमेंट संख्या 23104240043247 के आधार पर कार्यवाही करते हुए कुल ₹2,01,290/- की धनराशि विभिन्न खातों में होल्ड कराई गई।

रूपया वापसी का विवरण:-

जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों द्वारा धनराशि अलग-अलग खातों में स्थानांतरित की गई थी। इनमें से HDFC बैंक खाते में ₹16,790/- होल्ड कराया गया था। होल्ड धनराशि को रिलीज कराने हेतु मा0 न्यायालय से आदेश प्राप्त कर संबंधित HDFC बैंक को प्रेषित किया गया, जिसके उपरांत ₹16,790/- की धनराशि आवेदक के खाते में वापस कराई गई। अब तक आवेदक को कुल ₹46,790/- की धनराशि वापस कराई जा चुकी है। शेष होल्ड धनराशि को रिलीज कराने हेतु संबंधित बैंकों से निरंतर पत्राचार/मेल के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है।

साइबर पुलिस टीम:-

- उ0नि0 लोकेशमणि, थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
- कम्प्यूटर ऑपरेटर वीरेन्द्र कुमार सरोज, थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
- का0 अमित कुमार सिंह, थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़

दिनांक: 23.02.2026

अपहरण कर जबरन जमीन बैनामा कराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 08.02.2026 को वादी श्री विष्णु यादव पुत्र स्व0 रामकेवल यादव निवासी ग्राम लछेहरा पोस्ट मेहमौनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 19.01.2026 को प्रातः लगभग 08:30 बजे जब वह अपने घर से मेहमौनी जा रहे थे, तभी आरोपीगण द्वारा उन्हें जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने घर ले जाया गया तथा एक कमरे में बंद कर दिया गया। आरोप है कि वादी का आधार कार्ड लेकर जान से मारने की धमकी देते हुए उनकी लगभग 08 बिस्वा भूमि मात्र ₹2,00,000/- में जबरन बैनामा करा लिया गया। उक्त धनराशि वादी के एसबीआई खाते में स्थानांतरित की गई तथा ₹1,50,000/- का फर्जी चेक भी दिया गया। विरोध करने पर वादी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 41/2026 धारा 140(1), 127(2), 351(3), 352 बीएनएस व 138 एनआई एक्ट बनाम अभियुक्तों 01. जय प्रकाश यादव उर्फ गोलई पुत्र सल्टन

यादव निवासी ग्राम कप्तानगंज 02. गुड्डू यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी ग्राम कादीपुर हरिकेश थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 23.02.2026 को उ0नि0 ओम प्रकाश दूबे मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गुड्डू यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी ग्राम कादीपुर हरिकेश थाना कप्तानगंज आजमगढ़ उम्र लगभग 40 वर्ष को समय करीब 09:15 बजे मेहमौनी भितरी मार्ग मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 41/2026 धारा 140(1)/127(2)/351(3)/352 बीएनएस व 138 एनआई एक्ट, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त गुड्डू यादव पुत्र सुरेश यादव, निवासी ग्राम कादीपुर हरिकेश थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

1	41/2026	140(1)/127)(2)/351(3)/352 बीएनएस	कप्तानगंज	आजमगढ़
2	57/14	110G	कप्तानगंज	आजमगढ
3	803/2010	307/399/402 भादवि	रानी की सराय	आजमगढ
4	804/10	3/25 आयुध अधिनियम	रानी की सराय	आजमगढ
5	22/09	8/20 एनडीपीएस एक्ट	कप्तानगंज	आजमगढ़
6	23/09	3/25 आयुध अधिनियम	कप्तानगंज	आजमगढ

6. गिरफ्तार अभियुक्त:

01. गुड्डू यादव पुत्र सुरेश यादव, निवासी ग्राम कादीपुर हरिकेश थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 40 वर्ष ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 ओम प्रकाश दूबे, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।
2. का0 सद्दाम हुसैन, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।
3. का0 राकेश कुमार, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

प्रेस- विज्ञप्ति

थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 21.12.25 को वादी द्वारा थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 15.11.2025 को वादी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त 1. शिवा उर्फ गोलू पुत्र विशुन सा0 कतरा बिषहम थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा समय करीब 7.30 बजे शाम में शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर साथ लेकर फरार हो गया है, जिसकी काफी तलाश की गयी लेकिन वे कहीं मिले नहीं। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 546/25 धारा 137(2)/87/61(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 24.02.2026 को उ0नि0 तुषार त्रिपाठी मय हमराह के साथ देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त . शिवा उर्फ गोलू पुत्र विशुन सा0 कतरा बिषहम थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को जाफरपुर से समय करीब 10.55 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. शिवा उर्फ गोलू पुत्र विशुन सा0 कतरा बिषहम थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 546/25 धारा 137(2)/87/61(2)/351(3) वीएनएस व बढोत्तरी धारा 64 BNS & 3/4 POCSO ACT थाना मेहनगर थाना मेंहनगर थाना मेंहनगर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास–

01.मु0अ0स0 546/25 धारा 137(2)/87/61(2)/351(3) 64 BNS & 3/4 POCSO ACT थाना मेंहनगर, आजमगढ़।

02. मु0अ0स0 277/24 धारा 137(2)/87/64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मेंहनगर, आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

01. उ0नि0 तुषार त्रिपाठी, थाना मेंहनगर, जनपद आजगमढ़।

02. का0 अजय कुमार राय, थाना मेंहनगर, जनपद आजगमढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

दिनांक: 24.02.2026

युवती को बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.02.2026 को आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री को दिनांक 12.02.2026 को रात्रि लगभग 10:00 बजे अभियुक्त मोनू राजभर पुत्र चंदलाल राजभर, निवासी ग्राम रंगडीह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 40/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस व धारा 16/17 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 24.02.2026 को उ0नि0 उदय बहादुर यादव मय हमराह के साथ क्षेत्र में देखभाल, जांच प्रार्थना पत्र व लंबित विवेचना में मामूर थे। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम द्वारा कस्बा फत्तेहपुर मोड़ पर पहुंचकर अभियुक्त मोनू राजभर पुत्र चंदलाल राजभर निवासी ग्राम रंगडीह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 14.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. मोनू राजभर पुत्र चंदलाल राजभर, निवासी ग्राम रंगडीह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 40/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस व धारा 16/17 पॉक्सो एक्ट, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 उदय बहादुर यादव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 विद्याकांत, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
3. का0 विजय कुमार, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट

दिनांक – 24.02.2026

परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक में 01 प्रकरण का आपसी समझौता

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 24.02.2026 को थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कुल 05 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को दूरभाष/नोटिस के माध्यम से सूचित कर मिडिएशन हेतु बुलाया गया, जिनमें से 03 पत्रावलियों में पक्षकार उपस्थित हुए।

मिडिएशन के दौरान 01 पत्रावली में अथक प्रयास, समझाइश एवं काउंसलिंग के पश्चात आपसी सहमति से समझौता कराया गया। उक्त प्रकरण में आवेदिका द्वारा अपने पति एवं ससुराल पक्ष पर मारपीट एवं भरण-पोषण न देने के आरोप लगाए गए थे। दोनों पक्षों की एक साथ एवं पृथक-पृथक काउंसलिंग कर आपसी सहमति से समझौता कराते हुए विदाई कराई गई।

02 पत्रावलियां माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण बंद की गई। शेष पत्रावलियों में दोनों पक्षों को अगली तिथि हेतु नोटिस/दूरभाष द्वारा सूचित कर मिडिएशन कराया जाएगा।

नई किरण प्रोजेक्ट के माध्यम से जनपद में बिखरे परिवारों को पुनः एक सूत्र में जोड़ने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है, जिससे पारिवारिक न्यायालयों पर कार्यभार भी कम होगा।

कुल समझौते:- 01

इस पुनीत कार्य में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी:-

- उ0नि0 सत्यनारायण यादव, प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ
- आरक्षी जितेन्द्र कुमार शाह
- आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक : -24-2026

मिशन शक्ति एवं साइबर क्राइम जागरूकता को लेकर ग्राम पंचायत मेढ़ी थाना तहबरपुर में संयुक्त चौपाल का आयोजन

थाना तहबरपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मेढ़ी में आज मिशन शक्ति अभियान एवं साइबर क्राइम जागरूकता के अंतर्गत एक संयुक्त चौपाल का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के आदेशानुसार तथा अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री विवेक त्रिपाठी के कुशल निर्देशन में,थानाध्यक्ष श्री आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व में और महिला प्रकोष्ठ प्रभारी श्री वकील सिंह द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।

चौपाल के दौरान महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा से जुड़ी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं, लाभकारी कार्यक्रमों एवं महिलाओं के लिए उपलब्ध टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। महिला प्रकोष्ठ प्रभारी श्री वकील सिंह द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ उनके अभिवावकों को महिला अधिकारों, सम्मान एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। उप निरीक्षक नीलमणि त्रिपाठी, सुर्लभ पाण्डेय तथा महिला मुख्य आरक्षी जानकी सिंह ,महिला आरक्षी रूपा सरोज, दिव्या शुक्ला आरक्षी सर्वेश कुमार, अमित सिंह, किशन मिश्रा, द्वारा महिला सुरक्षा से सम्बन्धित टोल फ्री नम्बरों को डिटेल में समझाया गया है पंपलेट का वितरण किया गया।
साइबर क्राइम जागरूकता सत्र में उप निरीक्षक नील मणि त्रिपाठी द्वारा साइबर अपराधों के नए-नए तरीकों एवं उनसे बचाव के उपायों पर सरल एवं प्रभावी ढंग से जानकारी दी गई। जिसके तहत प्रमुख 10 बिन्दुओ को समझाया गया

1 अज्ञात कॉल/मैसेज से सावधान रहें
अगर कोई बैंक, पुलिस, बिजली विभाग या सरकारी अधिकारी बनकर कॉल करे और OTP/लिंक मांगे—तो तुरंत कॉल काट दें।

2 OTP किसी को न बताएं
OTP आपकी डिजिटल चाबी है। बैंक, पुलिस या कोई भी अधिकारी कभी OTP नहीं मांगता।

3 फर्जी लिंक पर क्लिक न करें
लॉटरी, KYC अपडेट, बिजली बिल, GST रिफंड जैसे लिंक अक्सर फ्रॉड होते हैं।

4 महिलाओं व बच्चियों की ऑनलाइन सुरक्षा
सोशल मीडिया पर फोटो, वीडियो या निजी जानकारी अंजान लोगों से साझा न करें।

5 सोशल मीडिया अकाउंट सुरक्षित रखें
मजबूत पासवर्ड रखें और Two-Factor Authentication (2FA) अवश्य चालू रखें।

6 डिजिटल भुगतान करते समय सावधानी
UPI “Receive Money” के नाम पर पैसे भेजने का ऑप्शन कभी न दबाएं।

7 फर्जी नौकरी और लोन ऑफर से बचें
घर बैठे कमाई, सरकारी नौकरी, आसान लोन—अधिकतर धोखाधड़ी होती है।

8 मोबाइल में अनजान ऐप इंस्टॉल न करें
APK फाइल या स्क्रीन शेयर ऐप से आपका पूरा मोबाइल कंट्रोल हो सकता है।

9 ठगी होने पर तुरंत शिकायत करें
जितनी जल्दी शिकायत, उतनी ज्यादा रकम बचने की संभावना।

10 राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर याद रखें – 1930
या वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
कार्यक्रम के अंत में उपस्थित ग्रामवासियों से अपील की गई कि वे स्वयं सतर्क रहें, डिजिटल लेन-देन में सावधानी बरतें तथा अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी महिला सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। इस संयुक्त चौपाल में छात्र एवं छात्राओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही और कार्यक्रम को अत्यंत सकारात्मक एवं सराहनीय प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

उत्तर प्रदेश पुलिस